संख्या-43/2022/2533/77-6-2022-5(एम)/2017टी.सी.-10

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. प्रबन्ध निदेशक,
   पिकप, पिकप भवन गोमतीनगर, लखनऊ।
2. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग,
   उद्योग निदेशालय, कानपुर।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4. समस्त जिला उपायुक्त,
   उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, उ0प्र0।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 **लखनऊ : दिनांक 14 अक्टूबर, 2022**

विषयः लघु तथा मध्यम उद्यमों की परिभाषा के परिवर्तन के सापेक्ष उ0प्र0 अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2017 में प्रस्तावों के प्रसंस्करण एजेन्सी के निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि भारत सरकार की सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना, जो दिनांक 01.07.2020 से प्रभावी है, के परिप्रेक्ष्य में शासन के पत्र संख्या-4070/77-6-2020-5(एम)/2017टी.सी.-10 दिनांक 18.12.2020(प्रति संलग्न) द्वारा जारी निर्देश का अवलोकन करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में अवगत कराना है कि उ0प्र0 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 की क्रियान्वयन नियमावली के प्रस्तर-2.3 द्वारा लघु एवं मध्यम औद्योगिक उपक्रमों, वृहद औद्योगिक उपक्रमों एवं मेगा औद्योगिक उपक्रमों में पूँजीगत निवेश को परिभाषित किया गया है। नीति के अधीन किसी आवेदक औद्योगिक उपक्रम की श्रेणी के निर्धारण, सुविधाओं की प्रतिपूर्ति की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

मात्रा, सीमा एवं अवधि के निर्धारण हेतु पूॅजीगत निवेश को ही मानदण्ड माना गया है। उदाहरणार्थ, नियमावली के प्रस्तर-2.10.1 में लघु एवं मध्यम उद्यम हेतु निवेश सीमा को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, की धारा-7 से लिंक किया गया है एवं प्रस्तर- 2.10.2 द्वारा उक्त निवेश सीमा से अधिक निवेश वृहद श्रेणी में मान्य किया गया है। तद्नुसार यद्यपि भारत सरकार द्वारा जारी गजट अधिसूचना में निवेश के अलावा टर्नओवर जैसे मानदण्ड का उल्लेख किया गया है, परन्तु यह नियमावली के अन्तर्गत लघु एवं मध्यम औद्योगिक उपक्रमों अथवा वृहद औद्योगिक उपक्रमों की श्रेणी के निर्धारण हेतु प्रासंगिक नहीं है। इसके अलावा, किसी आवेदक इकाई द्वारा प्रस्तावित अथवा किया गया नया पूंजीगत निवेश, चाहे नई इकाई की स्थापना हेतु अथवा विस्तारीकरण/विविधीकरण के अन्तर्गत नियमावली के प्रस्तर-2.13 में उल्लिखित मानदण्ड के अनुरूप किया गया हो, ही उक्त आवेदक की श्रेणी के वर्गीकरण हेतु मान्य होगा। यह भी स्पष्ट है कि किसी इकाई द्वारा उसके अवस्थान में किये गये नए निवेश को ही गणना में सम्मिलित किया जाना होगा। इकाई के अवस्थान पर पूर्व स्थापित इकाई, अथवा आवेदक द्वारा अन्यत्र कार्यरत इकाईयों के निवेश को, आवेदक औद्योगिक उपक्रम की श्रेणी के निर्धारण हेतु आगणन में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

3. अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-4070/77-6-2020-05(एम)/17टी.सी.-10 दिनांक 18.12.2020 द्वारा औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 में प्रस्तावों के प्रसंस्करण एजेन्सी के निर्धारण के सम्बन्ध में जारी निर्देशों को स्पष्ट करते हुए नोडल संस्था पिकप एवं समस्त मण्डल आयुक्त, एवं उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्रों द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगीः-

"अ. ऐसे प्रकरण, जिनको तत्समय लागू परीक्षण परिभाषा के अनुसार लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी किया जा चुका है, उनको उसी श्रेणी का मानते हुए कार्यवाही की जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

ब. ऐसे प्रकरण, जिनमें लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी किया जाना लम्बित है, उनमें भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 01.06.2020 में मध्यम उद्यम हेतु संयंत्र और मशीनरी अथवा उपस्कर में निवेश की निर्धारित सीमा से अन्यून राशि के सभी प्रस्ताव औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 की क्रियान्वयन नियमावली के प्रस्तर-2.3.1 "पूँजीगत निवेश" एवं प्रस्तर-2.10.1 "पात्र औद्योगिक उपक्रम" में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार मध्यम औद्योगिक उपक्रम की श्रेणी में संबंधित उपायुक्त, उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र द्वारा प्रसंस्करित किए जाएंगे।"

भवदीय,
अरविन्द कुमार
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्याः-4070/77-6-2020-05(एम)17टी0सी0-10

प्रेषक,

रजनी कान्त पाण्डेय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
पिकप,
पिकप भवन, गोमतीनगर, लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 18 दिसम्बर, 2020

विषयः-लघु तथा मध्यम उद्यमों की परिभाषा में परिवर्तन के सापेक्ष उत्तर प्रदेश अवस्थापना एवं औद्योगिक नीति-2017 में प्रस्तावों के प्रसंस्करण एजेन्सी के निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पिकप के पत्रांक /एम.एस.एम.ई.डी.एक्ट/580, दिनांक 19.08.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र द्वारा भारत सरकार की सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 01 जून,2020 को जारी अधिसूचना, जो दिनांक 01.07.2020 से प्रभावी हैं, के द्वारा सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 7 के अन्तर्गत लघु तथा मध्यम उद्यमों के मानदण्डों को अधिसूचित किये जाने के उपरान्त मार्गदर्शन उपलब्ध कराने अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में भारत सरकार की नई अधिसूचना के परिप्रेक्ष्य में निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना समीचीन होगा-

1. ऐसे प्रकरण, जिनको तत्समय लागू परीक्षण परिभाषा के अनुसार लेटर आफ कम्फर्ट जारी किया जा चुका है, उनको उसी श्रेणी का मानते हुए कार्यवाही की जाए।
2. ऐसे प्रकरण, जिनमें लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी किया जाना लम्बित है, उनमें भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 01.06.2020 के अनुसार परिभाषित श्रेणियों के अनुरूप कार्यवाही की जाए।

भवदीय,

(रजनी कान्त पाण्डेय)
अनु सचिव।